राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

डी.बी. क्रिमिनल अपील संख्या 384/1991

राजस्थान राज्य

----अपीलार्थी

बनाम

अब्दुल जब्बार पुत्र श्री निशार अहमद निवासी जोधपुर, थाना सदर कोतवाली जोधपुर, जिला जोधपुर

----प्रतिवादी

संलग्न

डी.बी. आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 17/1992

सलीम पुत्र रमजान, निवासी राजमहल हाई सेकेंडरी स्कूल के पास, मियों का घेर, जोधपुर

----अपीलार्थी

बनाम

1. अब्दुल जब्बार पुत्र श्री निशार निवासी राजमहल हाई सेकेंडरी स्कूल के पास, मियों का घेर, जोधपुर।
2. राजस्थान राज्य

----प्रतिवादी

राज्य के लिए : श्री महिपाल बिश्नोई, पीपी

माननीय श्री न्यायमूर्ति चंद्रशेखर

माननीय श्री न्यायमूर्ति योगेन्द्र कुमार पुरोहित

आदेश

12/08/2024

कोर्ट के द्वारा (प्रति माननीय श्री चंद्रशेखर, जे):

राजस्थान राज्य सत्र प्रकरण संख्या 94/1988 में पारित दिनांक 14 अगस्त 1991 के बरी करने के निर्णय के विरुद्ध अपील में है।

2. सलीम, जो पुलिस थाना सदर कोतवाली, जोधपुर में पंजीकृत एफआईआर संख्या 49/88 का सूचक है, ने अब्दुल जब्बार को बरी करने के उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध डी.बी. क्रिमिनल रिवीजन संख्या 17/1992 दायर की है।

3. अभियोजन पक्ष का यह दावा कि अभियुक्त ने हनीफा पर मुक्कों से हमला करके उसकी हत्या की, मुकदमे के दौरान साबित नहीं हुआ। डॉ. जगदीश जुगतावत, जिनकी जांच पी.डब्लू.-10 के रूप में की गई, ने हनीफा के माथे पर मामूली चोट देखी और उसके शव पर कोई अन्य बाहरी चोट नहीं पाई गई। सत्र न्यायालय ने 14 अगस्त 1991 को अपने फैसले में मोदी को "मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी की एक पाठ्य पुस्तक" (20वां संस्करण) में संदर्भित किया और अपनी राय दी कि तिल्ली का फटना तभी हो सकता है जब पीड़ित को इतनी जोर से मारा जाए कि उसकी पसलियां टूट जाएं, लेकिन ऐसा कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया। विद्वान ट्रायल जज ने गवाहों, विशेषकर पी.डब्लू.-1 सलीम कमरुद्दीन, पी.डब्लू.-11 मोहम्मद यूसुफ के साक्ष्य का हवाला दिया और माना कि इन गवाहों ने अभियोजन पक्ष की इस कहानी के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि अब्दुल जब्बार ने हनीफा की मुक्का मारकर हत्या की थी और इसलिए अभियोजन पक्ष का मामला साबित नहीं हुआ।

4. सलीम के दिनांक 25 मई 1988 के फर्दबयान के आधार पर थाना सदर कोतवाली में दिनांक 25 मई 1988 को एफआईआर संख्या 49/1988 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें से पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. जगदीश जुगतावत को अभियोजन पक्ष ने पी.डब्लू.-10 के रूप में परीक्षित किया। सलीम द्वारा पुलिस को दी गई अभियोजन कहानी के अनुसार, अब्दुल जब्बार अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा उसकी जमीन पर कब्जा करने पर आपत्ति जताते हुए उससे झगड़ा करता था। 25 मई 1988 की शाम को अभियुक्त ने सूचक की मां के साथ गाली-गलौज की तथा आपत्ति जताने पर सूचक को जमीन पर पटक दिया। सूचक ने आगे बताया कि अभियुक्त ने उसके सिर पर पत्थर से वार करने का प्रयास किया, लेकिन वह पीछे हट गया और पत्थर उसके पैरों पर गिर गया। इसी बीच उसकी मां हनीफा वहां आई और बीच-बचाव करने लगी, जिस पर आरोपी ने उसे गाली दी और कहा कि वह उसे जान से मार देगा और उसके पेट पर मुक्कों से हमला करना शुरू कर दिया। शोर सुनकर सलीम कमरुद्दीन, इंसाफ अली और सत्तार खान वहां आए और हनीफा को बचाने की कोशिश की, जो आरोपियों की पिटाई के कारण बेहोश हो गई थी। उसे अस्पताल ले जाया गया और पुलिस थाने में रिपोर्ट दी गई और भारतीय

दंड संहिता की धारा 307 और 323 के तहत एफआईआर नंबर 49/1988 दर्ज की गई।

5. अभियोजन पक्ष ने पी.डब्लू.-1 सलीम कमरुद्दीन, पी.डब्लू.-2 इंसाफ अली, पी.डब्लू.-3 कयूम, पी.डब्लू.-6 सत्तार खान, पी.डब्लू.-9 सलीम (शिकायतकर्ता) और पी.डब्लू.-11 मोहम्मद यूसुफ को चश्मदीद गवाह के तौर पर पेश किया। हालांकि, अभियोजन पक्ष के कहने पर पी.डब्लू.-4, पी.डब्लू.-7 और पी.डब्लू.-8 को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। पी.डब्लू.-5, जो हनीफा का पति है, के अनुसार वह अपने बेटे मोहम्मद यूसुफ द्वारा दी गई सूचना पर पुलिस स्टेशन गया था। दूसरी ओर, बचाव पक्ष ने झूठा फंसाने का मामला बनाया क्योंकि अभियोजन पक्ष के गवाहों की लालची नजरें उसकी जमीन पर थीं, जिसे उसने उन्हें देने से इनकार कर दिया था। अभियुक्त की ओर से चार गवाहों, अर्थात् डी.डब्लू.-1 हनवंत चंद भंसाली, डी.डब्लू.-2 देवी सिंह, डी.डब्लू.-3 बिस्मिल्ला और डी.डब्लू.-4 डॉ. धर्मेंद्र शर्मा से उसके बचाव के लिए पूछताछ की गई।

6. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री की जांच करने के बाद, हम मानते हैं कि ट्रायल जज ने सही पाया कि पी.डब्लू.-1, पी.डब्लू.-9 और पी.डब्लू.-11 ने अदालत में जो बयान दिए, वे अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुरूप नहीं थे, जैसा कि सलीम के फर्दबयान में कहा गया है। ट्रायल जज ने आगे पाया कि पी.डब्लू.-3 और पी.डब्लू.-11 वे गवाह नहीं थे, जिनका उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में किया गया था और इसके अलावा अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही में गंभीर विसंगतियां हैं। ट्रायल जज ने पी.डब्लू.-9 की गवाही को पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं पाया और विशेष रूप से, हत्या के लिए अभियुक्त की सजा दर्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं पाया।

7. हत्या के मुकदमे में न्यायालय को गवाहों के साक्ष्य की बहुत सावधानी से जांच करनी होती है और ऐसी जांच जरूरी तौर पर इस बात की जांच से संबंधित होनी चाहिए कि क्या गवाह मौकापरस्त गवाह था या अपराध स्थल पर मौजूद कोई वास्तविक व्यक्ति था। हम पाते हैं कि बचाव पक्ष द्वारा कुछ महत्वपूर्ण गवाहों की मौजूदगी को चुनौती देने का गंभीर प्रयास किया गया था और ऐसी चुनौती महज अटकलबाजी नहीं थी। यह न्यायालय इस कानूनी स्थिति से वाकिफ है कि “फाल्सस इन यूनो फाल्सस इन ऑम्निबस” कहावत हमारे देश की परिस्थितियों में लागू करने के लिए एक अच्छा नियम नहीं है, लेकिन फिर, जब यह पाया जाता है कि किसी गवाह ने कुछ खास बातों के लिए गलत सबूत दिए हैं तो न्यायालय का

यह कर्तव्य बन जाता है कि वह उसके साक्ष्य की सावधानी और सतर्कता से जांच करे।

8. अभियोजन पक्ष के गवाहों की सत्यता को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि गवाहों की गवाही और मेडिकल साक्ष्य में गंभीर विसंगतियां हैं। "मणिराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य" (1994)SUPP 2 SCC 289 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को मामले के सबसे महत्वपूर्ण भाग में अपर्याप्त माना जाता है यदि प्रत्यक्ष साक्ष्य विशेषज्ञ साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही चिकित्सा साक्ष्य के अनुरूप नहीं है। बल्कि, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को कुछ हद तक चिकित्सा साक्ष्य के साथ असंगत पाया गया है और यह अभियोजन पक्ष के मामले में एक मौलिक दोष होगा।

9. पी.डब्लू.-10 डॉ. जगदीश जुगतावत, जिन्होंने 26 मई 1988 को हनीफा के शव का पोस्टमार्टम किया था, ने उसके माथे के दाहिने हिस्से पर 1.5 सेमी x 0.2 सेमी आकार की एक बाहरी चोट पाई थी। हालांकि, उन्होंने पेट के अंदर 1800 मिली. रक्त भी देखा और तिल्ली पर दो चोटें थीं, जो 12.5 सेमी x 8 सेमी x 2 सेमी आकार की थीं। डॉक्टर ने गवाही दी कि हनीफा की मृत्यु 25 मई 1988 को रात 11.55 बजे के आसपास हुई और उसके शरीर पर पाए गए घाव मृत्यु-पूर्व प्रकृति के थे। उन्होंने आगे कहा कि शव पर पाए गए घाव कुंद हथियार या मुक्का मारने से भी हो सकते हैं। हालांकि, जिरह में पी.डब्लू.-10 ने कहा कि हनीफा के माथे पर लगी चोट सतह पर गिरने के कारण हो सकती है। डॉक्टर ने बचाव पक्ष के इस सुझाव पर भी सहमति जताई कि जब तक तिल्ली का आकार दोगुना नहीं हो जाता और वह पसलियों से बाहर नहीं आ जाती, तब तक वह सामान्य झटके से नहीं फट सकती।

10. मोदी ने "ए टेक्स्टबुक ऑफ मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी" (20वां संस्करण) में लिखा है कि तिल्ली पेट के क्षेत्र पर जोरदार मुक्का मारने से फट सकती है, बशर्ते कि आरोपी द्वारा दिए गए वार के कारण पीड़ित की पसलियाँ टूट गई हों और टूटी पसलियों के कारण तिल्ली फट गई हो। विद्वान लेखक ने पृष्ठ 601 पर लिखा है कि सामान्य तिल्ली का फटना बहुत दुर्लभ है, जब तक कि यह शरीर पर गाड़ी या मोटर कार के गुजरने जैसे बहुत अधिक कुचलने या पीसने वाले बल के कारण न हो। मोदी ने आगे लिखा है कि सामान्य तिल्ली कभी-कभी पसलियों के टूटे हुए सिरों से फट सकती है, जो एक जोरदार लात या किसी कुंद हथियार के वार से फ्रैक्चर हो सकती है। इसके अलावा, बढ़ी हुई तिल्ली नरम और भंगुर हो

जाती है और इसलिए यह गिरने या बहुत मामूली हिंसा से फट सकती है। कभी-कभी तिल्ली का आकार इतना बढ़ जाता है कि छींकने, खांसने, उल्टी करने या तनाव के दौरान पेट की मांसपेशियों के संकुचन से यह अपने आप फट सकती है, खासकर तब जब तिल्ली असामान्य रूप से गतिशील हो।

11. मोदी ने इस प्रकार लिखा है:-

> "इसकी स्थिति के कारण, सामान्य तिल्ली का टूटना बहुत दुर्लभ है, जब तक कि यह काफी कुचलने और पीसने वाले बल के कारण न हो, जैसे कि शरीर के ऊपर से गाड़ी या मोटर कार का गुजरना, या रेलवे दुर्घटना में कुचल जाना, या बहुत अधिक ऊंचाई से गिरना; ऐसे मामलों में, यह आमतौर पर अन्य ठोस अंगों और तिल्ली के ऊपर की पसलियों में चोट लगने से जुड़ा होता है। एक सामान्य तिल्ली कभी-कभी पसलियों के टूटे हुए सिरों से फट सकती है, जो एक जोरदार लात या किसी कुंद हथियार के वार से फ्रैक्चर हो सकती है। कर्षण बलों के अधीन एक तिल्ली अपने पेडिकल से फट सकती है।
>
> बढ़ी हुई तिल्ली नरम और भंगुर हो जाती है। इसलिए, यह गिरने या बहुत मामूली हिंसा से फट सकती है। ऐसे मामलों में, पेट की दीवार पर चोट का कोई बाहरी निशान नहीं दिखाई दे सकता है। आठ वर्षों की अवधि के दौरान, मोदी को गिरने और धक्कों के परिणामस्वरूप तिल्ली के फटने के 36 मामले मिले। इन मामलों में से, छह में तिल्ली क्षेत्र पर एंडोरिनल दीवार पर चोट के निशान दिखाई दिए और एक में, बाईं नौवीं और दसवीं पसलियों में फ्रैक्चर हुआ। टूटना आमतौर पर इसकी अवतल या आंतरिक सतह पर होता है, और इसकी महान संवहनीता के कारण रक्तस्राव से तेजी से मृत्यु का कारण बनता है। अक्सर एक ही झटके से एक से अधिक टूटना हो सकता है, और इसका पदार्थ मोटा कैप्सूल बरकरार रखते हुए फट सकता है। ऐसे मामले में, मृत्यु कुछ दिनों के लिए टल सकती है, क्योंकि कैप्सूल फटने को सीमित करता है या अत्यधिक रक्तस्राव को रोकता है, और कैप्सूल के नीचे पहले से बह चुका रक्त की थोड़ी मात्रा थक्का बन जाती है, और फटने पर दबाव डालती है और आगे रक्तस्राव को रोकती है। हालांकि, अचानक मांसपेशियों के तनाव या

उत्तेजना के साथ, थक्का खराब हो जाता है, और अधिक रक्तस्राव होता है और तुरंत मृत्यु हो जाती है।

मलेरिया और कालाजार के प्रकोप वाले जिलों में बहुत मामूली हिंसा से बढ़े हुए तिल्ली का फटना एक आम घटना है। कभी-कभी, वृद्धि इतनी बड़ी होती है कि इसकी लंबाई 35 सेमी से अधिक और इसकी चौड़ाई 20 सेमी से अधिक होती है, जबकि वजन अक्सर 1.8 किलोग्राम से अधिक होता है।

कभी-कभी छींकने, खांसने, उल्टी करने या तनाव के दौरान पेट की मांसपेशियों के संकुचन से बढ़ी हुई तिल्ली अपने आप फट सकती है, खासकर तब जब तिल्ली असामान्य रूप से गतिशील हो। ऐसे दुर्लभ मामले भी सामने आए हैं जिनमें यह दावा किया गया है कि एक पूरी तरह से स्वस्थ सामान्य तिल्ली अपने आप फट गई है। यह मानना मुश्किल है कि एक सामान्य तिल्ली बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक फट सकती है। हालांकि, यह संभव है कि कभी-कभी, कुछ व्यक्तियों में और कुछ चरणों में, एक स्वस्थ सामान्य तिल्ली मामूली आघात से फट सकती है। यदि ऐसे मामले में कैप्सूल बरकरार है, तो लक्षण घंटों या दिनों तक विलंबित हो सकते हैं, और जब अंततः रोगी बेहोश हो जाता है तो वह मूल और कारण चोट को भूल जाता है, जिससे तिल्ली अपने आप फट गई लगती है।

तिल्ली के घाव दुर्लभ हैं, लेकिन किसी छुरा घोंपने या काटने वाले उपकरण या किसी विदेशी वस्तु द्वारा गलती से इसके गूदे में छेद कर देने से ऐसा हो सकता है।"

12. इसलिए, पी.डब्लू.-10 से प्राप्त कथन के संदर्भ में कि पेट के चारों ओर मुक्का मारने पर तिल्ली फट सकती है, हम यह बता सकते हैं कि जे. नरीमन ने "क्वीन बनाम अहमद एली (1869) 11 सदरलैंड डब्ल्यू आर सीआर.25" में क्या टिप्पणी की थी, कि; "किसी चिकित्सक या अन्य कुशल गवाहों का साक्ष्य, चाहे वह कितना भी प्रतिष्ठित क्यों न हो, आम तौर पर केवल राय का विषय होता है"।

13. इसी तरह का निर्णय "स्टेट ऑफ एचपी बनाम जय लाल एवं अन्य" (1999) 7 एससीसी 280 में दिया गया था, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि:-

"एक विशेषज्ञ तथ्य का गवाह नहीं होता। उसका साक्ष्य वास्तव में सलाहकारी चरित्र का होता है। एक विशेषज्ञ गवाह का कर्तव्य

न्यायाधीश को निष्कर्षों की सटीकता का परीक्षण करने के लिए आवश्यक वैज्ञानिक मानदंड प्रदान करना है ताकि न्यायाधीश मामले के साक्ष्य द्वारा साबित किए गए तथ्यों पर इस मानदंड के आवेदन द्वारा अपना स्वतंत्र निर्णय बनाने में सक्षम हो सके। वैज्ञानिक राय साक्ष्य, यदि समझने योग्य, ठोस और परीक्षण किया हुआ है, तो मामले के अन्य साक्ष्य के साथ विचार करने के लिए एक कारक और अक्सर एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। ऐसे गवाह की विश्वसनीयता उसके निष्कर्षों के समर्थन में बताए गए कारणों और प्रस्तुत किए गए डेटा और सामग्रियों पर निर्भर करती है जो उसके निष्कर्षों का आधार बनते हैं।"

14. हमें यह ध्यान में रखना होगा कि धारा 161 के तहत जांच के दौरान दर्ज किए गए गवाहों के बयान आरोपी को दोषी ठहराने का आधार नहीं हो सकते हैं और वह भी हत्या जैसे गंभीर अपराध के लिए। धारा 161 के तहत गवाह के बयान का इस्तेमाल केवल गवाह के पिछले बयान का खंडन करने के लिए किया जाता है। इसलिए, पुनरीक्षणकर्ता द्वारा लिया गया यह रुख कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने पुलिस के सामने ठोस बयान दिए हैं और यह अब्दुल जब्बार को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त होगा, स्वीकार नहीं किया जा सकता। "ओंकार नामदेव जाधव बनाम द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश" (1996) 7 एससीसी 498 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि न्यायालय को केवल धारा 161 के तहत दर्ज किए गए गवाहों के बयान के आधार पर निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। मामले के महत्वपूर्ण पहलुओं की सूचना देने में मुखबिर की विफलता के बारे में, जिसमें कुछ गवाहों की उपस्थिति भी शामिल है, हम यह देखने के लिए इच्छुक हैं कि इस तरह की चूक अभियोजन पक्ष के मामले की नींव को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी। विग्मोर ने अपने "ट्रीटाइज़ ऑन एविडेंस" में देखा है कि जब तथ्य को बताना स्वाभाविक होता है, तो उसे बताने में विफलता वास्तव में तथ्य के अस्तित्वहीन होने का दावा करने के बराबर है।

15. यह एक बहुत ही स्थापित कानूनी प्रस्ताव है कि हत्या के अपराध के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष को भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के चार खंडों में से किसी एक के अंतर्गत अपना मामला लाना चाहिए। हमें यह भी विचार करना चाहिए कि ट्रायल कोर्ट द्वारा अभियुक्त को बरी करने से अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषता की दोहरी धारणा बनती है। दूसरे, जहाँ भी दो दृष्टिकोण संभव हैं, उच्च न्यायालय को बरी करने के निर्णय में हस्तक्षेप करने की

शक्ति से वंचित किया जाएगा। "कल्याण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य" (2001) 9 एससीसी 632 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सामान्यतः गवाहों की विश्वसनीयता के बारे में ट्रायल कोर्ट के दृष्टिकोण को उचित महत्व और विचार दिया जाना चाहिए क्योंकि ट्रायल कोर्ट से यह अपेक्षा की जाती है कि उसने गवाहों के आचरण और व्यवहार को देखा है और वह उनकी गवाही की सराहना करने की बेहतर स्थिति में है। "कल्याण" में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से माना:

> 8. दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील में उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों पर कानून की स्थापित स्थिति यह है कि यद्यपि उच्च न्यायालय के पास उन साक्ष्यों की समीक्षा करने की पूरी शक्ति है, जिनके आधार पर दोषमुक्ति का आदेश पारित किया जाता है, यह भी समान रूप से स्थापित है कि हमारे देश में प्रचलित आपराधिक न्यायशास्त्र के तहत अभियुक्त व्यक्तियों की निर्दोषता की धारणा, ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके दोषमुक्ति से और भी पुष्ट होती है। आम तौर पर गवाहों की विश्वसनीयता के बारे में ट्रायल कोर्ट के विचारों को उचित महत्व और विचार दिया जाना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि ट्रायल कोर्ट ने गवाहों के आचरण और व्यवहार को देखा है और वह उनकी गवाही की सराहना करने की बेहतर स्थिति में है। उच्च न्यायालय को ट्रायल कोर्ट द्वारा निकाले गए तथ्य के निष्कर्ष को बदलने में धीमा होना चाहिए। काली राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य [(1973) 2 एससीसी 808: 1973 एससीसी (क्रि) 1048: एआईआर 1973 एससी 2773] में इस न्यायालय ने टिप्पणी की कि आपराधिक मामले में न्याय प्रशासन के जाल में सबसे महत्वपूर्ण धागा यह है कि यदि मामले में प्रस्तुत साक्ष्य पर दो दृष्टिकोण संभव हैं, जिनमें से एक अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करता है और दूसरा उसकी निर्दोषता की ओर, तो अभियुक्त के पक्ष में जो दृष्टिकोण हो, उसे अपनाया जाना चाहिए। न्यायालय ने आगे टिप्पणी की:
>
> > "27. इसमें कोई संदेह नहीं है कि गलत तरीके से बरी होना अवांछनीय है और इससे लोगों का न्याय व्यवस्था में विश्वास डगमगाता है, लेकिन इससे भी बदतर है किसी निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से दोषी ठहराना। किसी निर्दोष व्यक्ति को

दोषी ठहराए जाने के परिणाम कहीं अधिक गंभीर होते हैं और सभ्य समाज में इसकी गूंज अवश्य ही महसूस की जा सकती है। मान लीजिए कि किसी निर्दोष व्यक्ति को हत्या के अपराध में दोषी ठहराया जाता है और उसे फांसी पर लटका दिया जाता है, तो इससे अधिक कुछ भी उस नुकसान को नहीं सुधार सकता क्योंकि बिना किसी कारण के दोषी ठहराए जाने से जो गलत हुआ है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। एक और उदाहरण लें, अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता है और वह सजा काटता है, तो न्याय की विफलता के कारण जो निशान रह जाते हैं, उन्हें बाद में किए जाने वाले किसी भी प्रायश्चित से नहीं मिटाया जा सकता। गलत तरीके से दोषी ठहराए जाने की पीड़ा झेलने वाले बहुत कम लोग ड्रेफस की तरह भाग्यशाली होते हैं कि उनके मामले की पैरवी करने और दोषसिद्धि के फैसले को रद्द करवाने में सफल होने के लिए एमिल ज़ोला जैसा कोई व्यक्ति होता है। यह सब इस बात को सुनिश्चित करने के महत्व को उजागर करता है कि जहाँ तक संभव हो, किसी निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने का कुछ जोखिम, निश्चित रूप से, आपराधिक न्याय प्रशासन की किसी भी प्रणाली में हमेशा मौजूद रहता है। इस तरह के जोखिम को कम किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। इस संबंध में सर कार्लटन एलन की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना उचित होगा, जिन्हें ग्लेनविले विलियम्स, द्वितीय संस्करण द्वारा 'द प्रूफ ऑफ गिल्ट' के पृष्ठ 157 पर उद्धृत किया गया है:

> 'मैं यह कहने का साहस करता हूं कि कुछ भावुक लोग इस प्रस्ताव से सहमत होंगे कि एक निर्दोष व्यक्ति को कष्ट सहने की अपेक्षा एक हजार या दस लाख दोषियों का बच निकलना बेहतर है; लेकिन कोई भी जिम्मेदार और व्यावहारिक व्यक्ति इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करेगा। यह स्पष्ट है कि यदि हमारा अनुपात अनिश्चित काल तक बढ़ाया जाता है, तो एक समय ऐसा आता है

जब न्याय की पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है और समाज अराजकता की स्थिति में आ जाता है।'

28. तथ्य यह है कि अभियुक्त के अपराध का स्पष्ट सबूत होना चाहिए और उसके अभाव में उसके अपराध का पता लगाना संभव नहीं है, इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव के मामले में जोर दिया था [शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1973) 2 एससीसी 793: 1973 एससीसी (क्रि) 1033: एआईआर 1973 एससी 2622] जैसा कि निम्नलिखित टिप्पणियों से स्पष्ट है:

'निश्चित रूप से यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को दोषी होना चाहिए और न केवल दोषी हो सकता है, तभी न्यायालय दोषी ठहरा सकता है और "हो सकता है" और "होना चाहिए" के बीच मानसिक अंतर बहुत लंबा है और अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करता है।'

16. दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील पर विचार करते समय उच्च न्यायालय, दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील पर विचार करते समय अपीलीय न्यायालय के समान शक्तियों का प्रयोग करता है। इसलिए उच्च न्यायालय साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है और भिन्न निष्कर्ष पर पहुंच सकता है, लेकिन उसे यह ध्यान में रखना चाहिए कि दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप केवल बाध्यकारी कारणों से ही किया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 दोषमुक्ति के निर्णय पर विचार करते समय न्यायालय की शक्तियों पर कोई सीमा नहीं लगाती है। हालांकि, न्यायिक घोषणाओं द्वारा दोषमुक्ति के निर्णय को पलटने की अपीलीय न्यायालय की शक्तियों पर कुछ सीमाएं लगाई गई हैं। "भद्रगिरि वेंकट रवि बनाम आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय" (2013)14 एससीसी 145 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से निर्णय दिया:-

"25. इस न्यायालय ने बार-बार बरी करने के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं। असाधारण मामलों में जहां बाध्यकारी परिस्थितियां हैं और अपील के तहत निर्णय विपरीत पाया जाता है, अपीलीय न्यायालय बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है। अपीलीय न्यायालय को अभियुक्त की निर्दोषता की धारणा को ध्यान में रखना चाहिए और इसके अलावा

ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने से उसकी निर्दोषता की धारणा को बल मिलता है। जहां दूसरा दृष्टिकोण संभव हो, वहां सामान्य तरीके से हस्तक्षेप से बचना चाहिए, जब तक कि हस्तक्षेप के लिए अच्छे कारण न हों।

17. हम पाते हैं कि ट्रायल जज ने पी.डब्लू.-1, पी.डब्लू.-2, पी.डब्लू.-3, पी.डब्लू.-6, पी.डब्लू.-9 और पी.डब्लू.-11 के बयानों और सलीम द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताई गई अभियोजन कहानी में गंभीर विसंगतियों के कारण उनके बयानों पर सही रूप से अविश्वास किया। अभियोजन पक्ष का यह मामला कि सलीम, इंसाफ अली, कयूम, सत्तार खान और मोहम्मद यूसुफ ने अपराध के पीछे का मकसद साबित किया, ट्रायल जज द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। ट्रायल के दौरान कोई सबूत नहीं दिया गया कि हनीफा पर अब्दुल जब्बार ने इतनी ताकत से हमला किया था कि उसकी पसलियां टूट जातीं और तिल्ली फट जाती। बचाव पक्ष की ओर से यह सुझाव दिया गया कि पेट के क्षेत्र पर मुक्कों से हमले के कारण पीड़िता को तिल्ली में चोट लग सकती है, अभियोजन पक्ष के इस मामले को साबित नहीं करेगा कि अब्दुल जब्बार हनीफा की जान लेने का दोषी था। हमारी राय में, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में अनाज की तुलना में भूसा अधिक था और सत्र न्यायालय ने आईपीसी की धारा 302 और 323 के तहत लगाए गए आरोप से अब्दुल जब्बार को सही तरीके से बरी कर दिया।

18. इसलिए आपराधिक अपील खारिज की जाती है और परिणामस्वरूप, आपराधिक पुनरीक्षण भी खारिज किया जाता है। अब्दुल जब्बार को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार उसके द्वारा प्रस्तुत जमानत बांड की देयता से मुक्त किया जाता है।

19. डी.बी. आपराधिक अपील संख्या 384/1991 और डी.बी. आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 17/1992 खारिज की जाती है।

(योगेन्द्र कुमार पुरोहित),जे **(श्री चंद्रशेखर),जे**

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के

लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।